

मार-पीट मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.02.2026 थाना दक्षिण टोला पुलिस देखभाल क्षेत्र जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे मैदान से मु0अ0स0 257/2024 धारा 3(5)/115(2)/118(2)/333/352/117(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त रामजी बासफोर पुत्र यमुना बासफोर सा0 प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामजी बासफोर पुत्र यमुना बासफोर सा0 प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 257/2024 धारा 3(5)/115(2)/118(2)/333/352/117(2) बी0एन0एस0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 हरिकेश यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. हे0का0 राजेन्द्र सिंह बादल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹ 8000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 24-02-2026 को मु0अ0स0 696/2021 धारा ,419/420 भादवी थाना घोसी मे दोषसिद्ध अभियुक्ता प्रीति गुप्ता पुत्री राधेश्याम गुप्ता निवासी कस्बाखास बड़ा बाजार थाना घोसी मऊ की अभियुक्ता जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 8000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय SPL(J) sc/st एक्ट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 24-02-2026 को मु0अ0सं0 229/1996 धारा 323,504 भादवि व धारा 3(1)10 sc/st एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त श्रीकांत पुत्र बलदेव निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा ।